



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 505 राँची, गुरुवार,
10 श्रावण, 1946 (श०)
1 अगस्त, 2024 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

26 जुलाई, 2024

विषय:-पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्रदान किये जाने के संबंध में ।

पत्रांक संख्या-15/एम-07/2021-4567--स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं झारखण्ड स्थापना दिवस के अवसर पर झारखण्ड पुलिस के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को पदक से अलंकृत किया जाता है। उक्त पदकों हेतु काफी कम संख्या निर्धारित है जिसके कारण कई योग्य पुलिस पदाधिकारी / कर्मी उक्त पदक से वंचित रह जाते हैं। कई बार राज्य सरकार के स्तर से अनुशंसा होने के बावजूद भी भारत सरकार के स्तर से पदक का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण संबंधित कर्मी किसी भी प्रकार के पदक से वंचित रह जाते हैं ।

2. वर्तमान में विभिन्न क्षेत्रों में उच्च कोटि का प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मी एवं पदाधिकारी को महानिदेशक द्वारा प्रशस्ति पत्र (Commendation Letter) एवं प्रशंसा पत्र (Appreciation Letter) प्रदान किया जाता है, जिसे प्रतिदिन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, तथापि यदि इसके स्थान पर प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) प्रदान किया जाय तो, पुलिस

पदाधिकारियों / कर्मियों का बेहतर उत्साहवर्धन होगा, क्योंकि उसे वे अपने वर्दी पर प्रदर्शित कर सकेंगे और गौरवान्वित महसूस करेंगे। अतएव केन्द्रीय बलों एवं अन्य राज्यों की भाँति झारखण्ड पुलिस में भी पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को उनके असाधारण कार्य हेतु पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह

(DG Commendation Disc) प्रदान किया जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ।

3 पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्रदान किये जाने की प्रक्रिया निम्नवत् होगी:-

(1) परिचय :- स्वच्छ सेवा अभिलेख एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुलिस पदाधिकारियों / कर्मियों के स्वच्छ एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन सतत् बनाये रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह दिया जायेगा। महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह अन्य पदकों एवं पुरस्कारों के अतिरिक्त होगी। यह प्रोत्साहन सभी पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा ।

(2) उद्देश्य

i. किसी पुलिस पदाधिकारी/कर्मि के द्वारा पेशेवर उत्कृष्टता के साथ प्रदान की गई लंबी और बेदाग सेवा को मान्यता देना ।

ii. सेवारत झारखण्ड पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के बीच सेवा में अधिक व्यवसायिकता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना ।

(3) पुलिस बल द्वारा दो सोपानों (ऑपरेशनल एवं अभिलेखीकरण) में कार्य किया जाता है और दोनों कार्य, पुलिस बल की स्थापना के उद्देश्य को आत्मसात करने हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पुलिस बल में कुल आवंटन के लगभग 85 प्रतिशत कर्मि "ऑपरेशनल ड्यूटी में कर्तव्यस्त रहते हैं तथा 15 प्रतिशत कार्यालय / वाहिनी/अन्य ईकाई में नियुक्त रहते हैं। राजपत्रित / अराजपत्रित कर्मियों को ऑपरेशनल ड्यूटी एवं कार्यालय ड्यूटी में नियुक्ति के दृष्टिगत ही प्रशंसा चिन्ह को 85:15 के अनुपात में विभाजित किया गया है। उक्त प्रकार से निर्धारित संख्या के सापेक्ष ही प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया जायेगा ।

(4) कैलेण्डर वर्ष के प्रत्येक माह उल्लेखनीय कार्यों हेतु राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मियों को पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्रदान किये जाने की व्यवस्था को पारदर्शी एवं उच्चिकृत करने हेतु मानक एवं पात्रों के चयन के संबंध में प्रशंसा चिन्हों का वर्गीकरण एवं संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार होगा, जिसे प्रत्येक वर्ष में गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर 60-60 कुल 120 पुलिस पदाधिकारियों/ कर्मियों को इन प्रशंसा चिन्हों से सम्मानित किया जा सकेगा :-

पदक का नाम	अवसर पर		प्रशंसा चिन्ह हेतु कर्तव्यों का वर्गीकरण	प्रस्तावित संख्या
	गणतंत्र दिवस	स्वतंत्रता दिवस		
प्रशंसा चिन्ह रजत (सिल्वर)	30 अद्द	30 अद्द	ऑपरेशनल कार्य 85 प्रतिशत	25
			अभिलेखीय कार्य 15 प्रतिशत	5
प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण (गोल्ड)	20 अद्द	20 अद्द	ऑपरेशनल कार्य 85 प्रतिशत	17
			अभिलेखीय कार्य 15 प्रतिशत	3
प्रशंसा चिन्ह हीरक (प्लेटिनम)	10 अद्द	10 अद्द	ऑपरेशनल कार्य 85 प्रतिशत	8
			अभिलेखीय कार्य 15 प्रतिशत	2
कुल	60	60	-	60

(5) पात्रता मापदण्ड (Eligibility Criteria) :-

(क) क्रम संख्या 6 में उद्धृत किसी एक या एक से अधिक उत्कृष्ट ऑपरेशनल कार्य विषयों में विशिष्ट कार्य, या

(ख) क्रम संख्या-6 में उद्धृत किसी एक या एक से अधिक उत्कृष्ट / सराहनीय कार्य में विचाराधीन अवधि (विगत 08 वर्ष या उससे अधिक) के दौरान लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन ।

(ग) उपरोक्त मापदण्डों के अतिरिक्त निम्न मापदण्डों का भी पालन किया जाना अनिवार्य होगा :-

(i) उत्कृष्ट / सराहनीय सेवा के आधार पर दिये जाने वाले प्रशंसा चिन्ह में

विचाराधीन अवधि विगत 08 (आठ) वर्ष में कोई वृहत्त दण्ड नहीं दिया गया हो ।

(ii) किसी एक या एक से अधिक उत्कृष्ट ऑपरेशनल कार्य के आधार पर प्रशंसा चिन्ह दिये जाने की स्थिति में वृहद दण्ड वर्तमान में प्रभावी न हो ।

(iii) विगत 05 (पाँच) वर्षों में नामित कर्मों का सत्यनिष्ठा संदिग्ध पूर्ण नहीं रहा हो ।

(iv) नैतिक आचरण या सत्यनिष्ठा की कमी से जुड़े अपराध के लिए उसे अदालत द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो ।

(v) उपरोक्त क्रम संख्या-5 (क) के लिए विगत 05 (पाँच) वर्षों में APAR/ACR अभ्युक्ति में श्रेणीकरण अच्छा से कम नहीं होना चाहिए तथा क्रम संख्या-5 (ख) के लिए विगत 08 (आठ) वर्षों में APAR/ACR अभ्युक्ति में श्रेणीकरण अच्छा से कम नहीं होना चाहिए ।

(vi) विचाराधीन अवधि के दौरान उनके APAR/ACR अभ्युक्ति में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं होना चाहिए ।

(vii) नामित कर्मों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित रही हो एवं किसी प्रकार की विभागीय / न्यायिक / निगरानी अथवा अन्य जाँच/कार्रवाई एजेंसी /आयोग स्तर पर लंबित / प्रचलित न हो ।

(6) ऑपरेशनल इयूटी एवं कर्मियों के अभिलेखीय कार्य के आधार पर दिये जाने वाले प्रशंसा चिन्हों के संबंध में निम्नलिखित एक या एक से अधिक कार्य शीर्षकों पर विचार किया जाना अपेक्षित होगा ।

उत्कृष्ट ऑपरेशनल कार्य

- i. सनसनीखेज जटिल घटनाओं/अपराधों के अनावरण आदि में उत्कृष्ट कार्य हेतु ।
- ii. साम्प्रदायिक दंगे/तनाव/ घटना को नियंत्रित करना ।
- iii. गम्भीर प्रवृत्ति के अपराधों को नियंत्रित करना व ऐसी घटनाओं/वारदातों का अनावरण करते हुए अभियोजन हेतु साक्ष्य संकलन करना ।
- iv. संभावित अपराधिक घटनाओं की रोकथाम एवं घटित घटनाओं/वारदातों का अनावरण हेतु कुशल एवं पारदर्शी प्रबंधन कर जन समुदाय में विश्वास की संभावना उत्पन्न करना ।
- v. अति महत्वपूर्ण काण्डों में उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधान तथा अभियोजन सुनिश्चित कराना ।
- vi. पदधारक नक्सलियों की गिरफ्तारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन ।
- vii. उच्च कोटि के आसूचना संकलन ।
- viii. नक्सली वारदात को रोकने की स्थिति में ।
- ix. अदम्य शौर्य एवं साहसिक कार्य प्रदर्शित करने ।
- x. डकैतों के गिरोह एवं संगठित अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई ।

उत्कृष्ट / सराहनीय कार्य

- xi. कुशलतापूर्वक किये गये उत्कृष्ट कार्य हेतु ।
- xii. अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपे गये विशेष कर्तव्यों (चुनाव इयूटी तथा प्राकृतिक आपदा में बचाव कार्य आदि में असाधारण योगदान / कार्य हेतु) ।
- xiii. पुलिस बल के क्रिया-कलापों के सुधार में नवीन व उल्लेखनीय कार्य हेतु ।
- xiv. विगत 20 वर्षों की परिवहन शाखा की सेवा में दुर्घटना रहित वाहन चलाने हेतु ।
- xv. ऐसे पुलिसकर्मों, जो नौ सप्ताह या उससे अधिक व्यवसायिक दक्षता का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और इस प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो ।
- xvi. पुलिस पदाधिकारी/कर्मों, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया हो अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता में कोई पदक प्राप्त किया हो ।
- xvii. जन समुदाय में कानून व्यवस्था के प्रति विश्वास को और अधिक सुदृढ़ करना ।
- xviii. धरना प्रदर्शन / जुलूस इत्यादि को नियंत्रित करना ।
- xix. मेला/त्यौहार / वी०वी०आई०पी० इयूटी का सकुशल निर्वहन ।

- xx. कुशल कौशल के प्रदर्शन से जन समुदाय में भयमुक्त माहौल तैयार करना ।
- xxi. शान्ति व्यवस्था ड्युटी में पुलिस/वाहिनी एवं अन्य बलों के द्वारा सकारात्मक एवं सुदृढ़ प्रदर्शन कर जन मानस में कानून-व्यवस्था के प्रति आस्था उत्पन्न करना ।
- xxii. पुलिस मित्र भावना को सार्थक व चरित्रार्थ करना ।
- xxiii. सामाजिक परिवेश में नागरिकों की मूल भावना की सुरक्षा ।
- xxiv. वृद्ध, दुर्बल एवं असहाय वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करना ।
- xxv. पुलिस बल के कर्मियों का जन मानस के सामाजिक कार्यों में उल्लेखनीय सहयोग करना ।
- xxvi. राष्ट्रीय आपदा के दौरान किया गया राहत कार्य ।
- xxvii. लोगों की समस्या का समाधान कर पुलिस की छवि को बढ़ाना ।
- xxviii. 20 (बीस) वर्ष का बेदाग सेवा रहना ।
- xxix. ध्यान आकर्षित करने वाला असाधारण कार्य ।
- xxx. वैसे मामले, जिसमें सरकार के स्तर से वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक / सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक का प्रस्ताव प्रेषित किया है, परन्तु भारत सरकार के स्तर से न दी गई हो ।

(7) अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया :-

वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा/कार्यालय प्रधान के द्वारा समीक्षोपरान्त संबंधित पुलिस उप-महानिरीक्षक / कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराया जायेगा। अनुशंसित पदाधिकारियों/कर्मियों का सेवाभिलेख संलग्न प्रपत्र-1 (Annexure-I) के रूप में विधिवत भरा हुआ होना चाहिए ।

अनुशंसा करने वाले पदाधिकारी द्वारा उक्त चिन्ह प्रदान करने हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा -

1. लम्बी सेवा अवधि एवं स्वच्छ सेवाभिलेख ।
2. विचाराधीन अवधि विगत 08 (आठ) वर्षों का APAR/ACR की स्थिति।
3. वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा/कार्यालय प्रधान के द्वारा सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र-II (Annexure-II) के अनुसार दिया जायेगा ।
4. वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा/कार्यालय प्रधान के द्वारा अनुशंसित पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को पूर्व में उक्त प्रशंसा चिन्ह प्रदान नहीं किया गया है, के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न प्रपत्र-III (Annexure-III) के अनुसार दिया जायेगा ।

(8) सक्षम प्राधिकार (Competent Authority)

महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड होंगे। महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक द्वारा गठित कमिटी की अनुशंसा के आधार पर यह चिन्ह प्रदान किया जा सकेगा ।

(9) महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) हेतु पात्र कर्मियों के चयन व उनको श्रेष्ठता के आधार पर प्रशंसा चिन्ह प्रदान किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर कमिटी गठित होगा, जो निम्न प्रकार होगा :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची | :-अध्यक्ष |
| 2. अपर पुलिस महानिदेशक (अभियान), झारखण्ड, राँची | :-सदस्य |
| 3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची | :-सदस्य |
| 4. पुलिस महानिरीक्षक (मानवाधिकार), झारखण्ड, राँची | :-सदस्य |
- सचिव

(10) सदस्य सचिव भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों, राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मियों के ऑपरेशनल इयूटी तथा अभिलेखीय कार्य के आधार पर गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस से एक माह पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / समादेष्टा / कार्यालय प्रधान से संबंधित पुलिस उप महानिरीक्षक / कार्यालय प्रधान के माध्यम से प्रस्ताव साईटेशन सहित प्राप्त कर लेंगे। प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में गठित कमिटी द्वारा चयनित कर्मियों का प्रस्ताव पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची के विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। तदनुसार महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) हेतु चयनित पदाधिकारियों/कर्मियों को गणतंत्र / स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें नियुक्त जिला/ईकाई में सम्मानित किया जायेगा।

महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) में से अंतिम प्राप्त प्रशंसा चिन्ह को धारण किया जायेगा तथा पूर्व में प्रदत्त प्रशंसा चिन्हों को वापस करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(11) महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) की बनावट तथा विशिष्टता निम्न होगी :-

प्रथम	प्रशंसा चिन्ह रजत (सिल्वर)	अंडाकार आकार (Oval) प्रशंसा चिन्ह
द्वितीय	प्रशंसा चिन्ह स्वर्ण (गोल्ड)	अंडाकार आकार (Oval) प्रशंसा चिन्ह
तृतीय	प्रशंसा चिन्ह हीरक (प्लेटिनम)	अंडाकार आकार (Oval) प्रशंसा चिन्ह

महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) अंडाकार आकार (Oval) एवं कांस्य का बना होगा, जिसपर रजत (सिल्वर) / स्वर्ण (गोल्ड) / हीरक (प्लेटिनम) की कलई होगी। महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह आकार में 40 mm की लंबी धुरी (Long axis), 30 mm की छोटी धुरी (Short axis) तथा 02 mm की मोटाई (Thickness) की होगी। इसके मुख भाग के उपरी हिस्से में उभरा हुआ "पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) तथा निचले हिस्से में 'प्रशंसा तथा Commendation' अंकित होगा। प्रशंसा चिन्ह के बीच भाग में उभरा हुआ "झारखण्ड पुलिस का लोगो" रहेगा।

(12) उक्त प्रशंसा चिन्ह से पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को पूरे सेवाकाल में अधिकतम तीन बार अलंकृत किया जा सकेगा। साथ ही रजत (सिल्वर) प्रशंसा चिन्ह प्राप्त होने के न्यूनतम 01 वर्ष बाद स्वर्ण (गोल्ड) प्रशंसा चिन्ह तथा गोल्ड (स्वर्ण) प्रशंसा चिन्ह प्राप्त होने के न्यूनतम 01 वर्ष बाद ही हीरक (प्लैटिनम) प्रशंसा चिन्ह प्रदान किया जायेगा। इस Commendation Disc को प्रदान करने हेतु वर्तमान में प्रतिवर्ष (पदक की संख्या-120x20rs-2400rs) कुल 2400 रुपये का वित्तीय अधिभार होगा, जो पुलिस मुख्यालय के कार्यालय व्यय से विकलनीय होगा।

(13) जब कोई पदक धारण किया जायेगा, उक्त परिस्थिति में महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) बांयी पॉकेट के रिबन के नीचे एवं शर्ट पॉकेट के बटन के ऊपर धारण किया जा सकेगा। जब साथ में कोई अन्य पदक धारण किया जायेगा, तब प्रशंसा चिन्ह बांयी पॉकेट के बटन के नीचे धारण किया जायेगा।

(14) प्रशंसा चिन्ह को वापस लेना (Withdrawal of the Commendation Disc)

यदि प्रशंसा चिन्ह धारक द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया जाता है, जो राष्ट्रहित में न हो या इससे विभाग की गरिमा धूमिल होती हो या किसी अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता हो या सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो आदि, तो आवश्यक आकलन के उपरान्त पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रशंसा चिन्ह वापस कर लिया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि प्रशंसा चिन्ह उचित पदाधिकारी/कर्मियों को नहीं प्रदान किया गया है तथा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध यह सिद्ध हो जाता है कि उक्त पदाधिकारी/कर्मियों के द्वारा गलत साक्ष्य / दस्तावेज के आधार पर प्रशंसा चिन्ह प्राप्त किया गया है, तो उक्त परिस्थिति में प्रशंसा चिन्ह वापस लिया जा सकेगा।

(15) ऐसे प्रशंसा चिन्ह (Commendation Disc) प्राप्त करने वाले कर्मियों का एक स्थायी रजिस्टर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची के कार्यालय में रखा जायेगा।

सामान्य निर्देश :

- i. महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्राप्त होने की सूचना संबंधित पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों की सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाना चाहिए।
- ii . महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) प्राप्तकर्ता कर्मियों का अगली रैंक पर पारी से बाहर पदोन्नति, विशेष विचार या किसी अन्य लाभ, किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ, वरीयता या किसी अन्य विशेषाधिकार का दावा अनुमान्य नहीं होगा और न ही विचार किया जायेगा।
- iii. सक्षम प्राधिकारी द्वारा सिफारिश को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय लेने के बाद मामला वहीं समाप्त हो जाएगा और आगे कोई अभ्यावेदन या पुर्नसमीक्षा पर विचार नहीं किया जाएगा।

Annexure-I**RECOMMENDATION FOR THE AWARD OF DG COMMENDATION DISC**

1	Name (In English capital letters) (In Hindi)	Surname	Middle name	First name
2	Father's Name	Surname	Middle name	First name
3	Date of Birth	Day	Month	Year
4	Age as on	Year	Month	
5	Sex			
6	Initial appointment	Year Cadre	Rank	Service
7	Regimental/Force No			
8	Total Police Service (As on)			
9	Present posting, with complete postal address			
10	Rewards			
	A) Cash Awards			
	B) Others			
	i) Commendation			
	ii) Appreciation			
	iii) Good Service Entries			
	iv) Any other rewards (Specify)			
11	Punishment (s)	Details of Penalty -	Year(s)-	
12	Details of any enquiry pending against the officer			

13	Details of disciplinary proceedings pending/contemplated against the recommendee, if any	
14	Details of the court cases pending against the recommendee, if any	
15	APAR Grading for last 05 years * OS-Outstanding VG-Very Good G-Good AV-Average NIC-Not initiation Certificate Adv-Adverse NA-Not applicable	Year Grading
16	In case of NIC corresponding nos. of APARs Grading beyond 5 years period of reckoning	Year Grading
17	Brief description of work justifying award of Medal (No posting details) in order of importance (approximately 500 words)	

Signature of Recommending Authority

Name:-

Designation-

Date -

Annexure-II**INTEGRITY CERTIFICATE**

Certified that the integrity of ----- (In English) -----
----- (In Hindi) S/o -----, Date of Birth -----
(Designation).....recommended for the award for **DG DISC** is above
suspicion and he/she was not concerned in any proceedings that was censured
in a Court of Law. It is further certified that no judicial or departmental
proceedings are being contemplated/pending against him/her. Similarly, no
vigilance case is being contemplated/pending against him/her. It is also
certified that recommendee has not been given any major penalty in the last
Eight years/Five years.

It is also certified that the character & antecedents (of the proposed
awardee) have been duly verified and nothing adverse reported against
him/her.

Signature _____

Name

Head of Unit

Official Stamp _____

Annexure-III**CERTIFICATE**

It is certified that it has been checked and verified from the records of recommendee ----- and it is confirmed that he/she has completed years of service. It is also certified that he/she has not been earlier awarded the DISC for which he/she is being recommended.

Signature _____

Name of the officer

Designation

Date _____

Official Stamp _____

4. पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह (DG Commendation Disc) पर 120x20 = 2400 रुपये का अतिरिक्त व्यय भार संभावित है। यह व्यय भार महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय के कार्यालय व्यय शीर्ष में उपबंधित बजट से वहन किया जायेगा ।
5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-19.06.2024 की बैठक के मद संख्या-04 में स्वीकृति प्राप्त है ।
6. संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।
